न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ, जिला जयपुर, राज0
बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
59 / 2016	19 / 05 / 2016	06.04.2023

1 जगदीश पुत्र चतरू
2 रामकिशन पुत्र चतरू
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम नागलबेला तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार उप तहसील आंधी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान ।
2 रामकरण पुत्र बद्री
3 रामस्वरूप पुत्र बद्री
4 कैलाश पुत्र बद्री
5 प्रहलाद पुत्र मुल्या
6 शान्ति देवी पत्नि गोपाल
7 [illegible] पुत्र गोपाल
8 रामकिशोर पुत्र गोपाल
9 रामदयाल पुत्र गोपाल
10 केदार पुत्र गोपाल
11 शंकर पुत्र जगदीश
[illegible] ब्राह्मण निवासी ग्राम नागलबेला तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रामकरण शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री राजेश कुमार पारीक – अधिवक्ता अप्रार्थी स0 2 ता 5 व 7 ता 11
[illegible] – अप्रार्थी सं0 1

प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 131,136
लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत नक्शा दुरुस्ती

– निर्णय :–

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की पैतृक आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा ग्राम नांगलबेला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण बतौर रिकार्डेड कब्जे काश्त खातेदारी मे स्थित है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 263 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा ग्राम नांगलबेला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर मे स्थित है जिसके एकीकरण पूर्व खसरा नम्बर ...... रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा कायम थे। पूर्व में हुये एकीकरण के बाद प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमियों के नवीन खसरा नं0 263 बनाये गये है परन्तु जो नवीन नक्शा कायम किया गया वह विधि विधान एवं मौका स्थिति के विपरित तथा बिना प्रार्थीगण को सूचना दिये बनाया गया है जो गलत तरमीम कर कायम किया गया है तथा मौके पर प्रार्थीगण की भूमि 6 बीघा 13 बिस्वा स्थित है लेकिन एकीकरण के समय बनाये गये नवीन नक्शे मे प्रार्थीगण की भूमि मे से लगभग 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि कम करके नक्शा कायम किया हुआ है जो कि गलत है। प्रार्थीगण पुराने नक्शे में तरमीम अनुसार ही काबिज काश्त करते आ रहे है। लेकिन एकीकरण नवीन नक्शें मे कब्जे काश्त के अनुसार तरमीम न करके मनमर्जी से गलत तरमीम करते हुये प्रार्थीगण की भूमि में से लगभग 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि कम करके नक्शा कायम कर दिया गया है जो कि गलत है जो स्पष्ट तौर पर अवैधानिक एवं मौका स्थिति के विपरित है जो दुरूस्तनीय है तथा वर्तमान में

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

जमाबन्दी मे भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा स्थित है लेकिन जो एकीकरण बाद कायम किया गया नक्शा है उसमें प्रार्थीगण की भूमि कम करके नक्शा कायम किया गया है जो कि गलत है व दुरूस्तनी है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित ग्राम नांगलबेला खसरा नम्बर 263 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा का नक्शा दुरूस्त कर पुराने नक्शे अनुसार व रकबा बरारी अनुसार दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगणो की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। दिनांक 19.09.2016 को अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 व 6 ता 11 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक उपस्थित हुये। तथा अप्रार्थी संख्या 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 6 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। पैरोकार सरकार (अप्रार्थी सं0 1) ने अपने पत्रांक/आर.टी./2023/516 दिनांक 17.02.2023 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि [illegible] रिकार्ड पर है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 263 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा है जिसके एकीकरण से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 513 मि0 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 510 मि0 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 495 मि0 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 476 रकबा 10 बिस्वा से मिलकर बने है। मिलान क्षेत्रफल पत्र के साथ संलग्न है। रिकार्डनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 263 रकबा 1.6818 हैक्टेयर है। जबकि रकबा बरारी करने पर उक्त खसरा नम्बर का रकबा लगभग 0.93 हैक्टेयर बनता है जो कि रिकार्ड से 0.73 हैक्टेयर कम है। वर्तमान खसरा नम्बर 263 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा अर्थात 1.6818 हैक्टेयर है। गत खसरा नम्बर 513 मि0 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 510 मि0 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 495 मि0 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 476 रकबा 10 बिस्वा से मिलकर बना है। लेकिन एकीकरण बाद के नक्शें (वर्तमान नक्शें) में प्रार्थी के हाल खसरा नम्बर 263 की गलत तरमीम कायम कर दी गई जिससे 0.63 हैक्टेयर माप का नक्शा कम कर दिया गया एवं गत खसरा नम्बर 476 रकबा 2 बीघा 15 बिस्व का वर्तमान खसरा नम्बर 260 में शामिल कर दिया गया था, जिसमें खसरा नम्बर 260 का रकबा रिकार्ड से 0.63 हैक्टेयर से अधिक हो गया, जिसे नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शाया गया है। अतः खसरा नम्बर 260 की दक्षिणी सीमा से 0.63 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 263 के नक्शे में शामिल किया जाना उचित होगा एवं शेष 0.12 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 258/2 की दक्षिणी सीमा भी मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 263 का ही भाग है। किन्तु खसरा नम्बर 263 व 258/2 के बीच में खसरा नम्बर 259 किस्म गै0मु0नहर स्थित होने से उक्त 0.12हैक्टेयर का भाग खसरा नम्बर 263 में जरिये नक्शा दुरूस्ती से मिलाया जाना संभव नही है इसके लिए अलग से घोषणा का दावा किया जाना उचित होगा। खसरा नम्बर 260 पर मु0न0 239/2014 दिनांक 25.11.2014 के द्वारा रिकार्ड एवं मौका यथास्थिति बाबत स्थगन आदेश प्राप्त है एवं 87/2014 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ का रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति का स्थगन प्राप्त है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब नही देकर सीधे बहस किया। अतः अधिवक्ता उभय पक्ष व पैरोकार की बहस सुनी गई।

उभयपक्षो अधिवक्ताओ की बहस सुनने व अप्रार्थी सख्या 1 (पैरोकार सरकार) के जवाब व पत्रावली का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम नांगलबेला तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 263 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि की रकबा बरारी करते हुये मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के हाल नक्शा तरमीम को गत एकीकरण नक्शें की तरमीम अनुसार दुरूस्त किया जावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 06.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/4/23

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ